भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1976

जल भूतल परिवहन मंत्रालय
(परिवहन स्कंध)

दीपस्तंभ केन्द्रीय सलाहकार समिति (प्रक्रियात्मक) नियम, 1976

(23.6.79 और 17.12.90 को संशोधित)

सा.का.नि. 1734–– भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** –– (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय दीपस्तंभ सलाहकार समिति (प्रक्रियात्मक) नियम, 1976 है ।

(2) वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, ––

(क) "अधिनियम" से भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) अभिप्रेत है ।

(ख) "अध्यक्ष" से समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

(ग) "समिति" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय दीपस्तंभ सलाहकार समिति अभिप्रेत है ।

(घ) "सदस्य" से समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है ।

(ड.) "सदस्य–सचिव" से समिति का सदस्य–सचिव अभिप्रेत है ।

3. **समिति का कार्यकाल** – समिति का गठन एक बार में दो वर्ष के लिए किया जाएगा तथा उसे समय–सीमा का 6 महीनों तक विस्तार किया जा सकता है, जब तक कि नई समिति का गठित हो जाए, जो भी पहले हो ।

*नोट : * प्रथम संशोधन जीएसआर संख्या 867 दिनांक 23.6.79 और द्वितीय संशोधन जीएसआर संख्या 977(असाधारण) दिनांक 17.12.90 पढ़े ।

4. **समिति का गठन** – समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलाकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय का सचिव, जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) भारत सरकार का समुद्री सलाहकार, पदेन;

(ग) जल भूतल परिवहन मंत्रालय के वित्त सलाहकार, पदेन;

(घ) भारत सरकार का मुख्य हाइड्रोग्राफर, पदेन;

(ड.) फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधि;

(च) ऐसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधि;

(छ) इंडियन नेशनल शिप–ओनर्स एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि;

(ज) नौचालन जलयानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले केन्द्रीय सरकार के द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि जिनमें से एक भारत के पश्चिमी तट से होगा और दूसरा पूर्वी तट से;

(झ) इन्टर–पोर्टस् कनसल्टेटिव आर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करने वाला केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि;

(ञ) संसद के दो सदस्य, जिनमें से एक लोक सभा का और दूसरा राज्य सभा का होगा;

(ट) दीपस्तंभ और दीपपोत का महानिदेशक, जो पदेन सदस्य–सचिव होगा ।

5. * (x x x x x x x x x)

6. **पदावधि** :– इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए पदेन सदस्यों से भिन्न प्रत्येक सदस्य दो वर्ष के लिए पद धारण करेगा ।

परन्तु संसद सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए या उतनी अवधि के लिए जब तक वह उस सदन का सदस्य बना रहता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, इनमें से जो भी कम हो, पद धारण करेगा ।

7. **आकस्मिक रिक्तियां** :– सदस्य के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, नामांकन या नियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी और उस रिक्ति में भरने के लिए इस प्रकार नामांकित या नियुक्त सदस्य केवल उतनी ही अवधि के लिए पद धारण करेगा जितनी अवधि के लिए वह सदस्य, जिसका वह स्थान वह भरता है, यदि रिक्ति न हुई होती तो, पद धारण किए रहता ।

---

* केन्द्रीय दीपस्तंभ सलाहकार समिति (प्रक्रियात्मक) नियम, 1979 द्वारा हटाया गया है ।

8. **सदस्यों द्वारा पद त्याग** :– अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपनी सदस्यता त्याग सकेगा किन्तु वह उस समय तक, जब तक कि उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता या त्यागपत्र की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्ति तक, इनमें से जो भी पहले पड़े, अपने पद पर बना रहेगा ।

9. **पद से सदस्यों का हटाया जाना** :– केन्द्रीय सरकार किसी भी सदस्य को किसी भी समय पद से हटा सकेगी :–

(क) यदि वह निरन्तर 12 माह से अधिक की अवधि के लिए भारत से अनुपस्थित रहे, और उसने ऐसी अनुपस्थिति के लए अध्यक्ष से अनुज्ञा न प्राप्त की हो;

(ख) यदि वह अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना समिति की दो लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहे;

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है;

(घ) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक–अधमता अन्ववलित है;

(ड.) यदि, केन्द्रीय सरकार की राय में, वह उन हितों का प्रतिनिधित्व करने से परिविरत हो जाता है जिनकी ओर से वह नियुक्त किया गया था;

(च) यदि, केन्द्रीय सरकार की राय में, किसी अन्य कारण से, जिसे लेखबद्ध किया जाएगा, वह वांछनीय नहीं है कि वह सदस्य बना रहे । परन्तु संबंधित सदस्य पर पद से हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई की सुनवाई उसे बिना उचित अवसर प्रदान किए अनुध्यात नहीं की जा सकेगी ।

10. **समिति में प्रतिनिधित्व का निलम्बन या उसकी समाप्ति** :– यदि समिति की जांच के पश्चात, जिसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, सरकार की यह राय है कि ऐसे किसी निकाय या संगम ने, जिसका समिति में प्रतिनिधित्व है, ऐसी रीति से जो सामान्यतया जल भूतल के हितों के प्रतिकूल कार्य किया है या कार्य कर रहा है तो वह सरकारी आदेश द्वारा उस निकाय या संगम के प्रतिनिधित्व को उतनी अवधि के लिए निलम्बित कर सकती है जितनी उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, या उस प्रतिनिधित्व को बिल्कुल ही समाप्त कर सकती है । परन्तु संबंधित निकाय या संगम का निलम्बन या उसकी समाप्ति की प्रस्तावित कार्रवाई की सुनवाई उसे बिना उचित अवसर प्रदान किए नहीं की जा सकेगी ।

11. **समिति का विस्तार** :– यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई निकाय या संगम जिसका समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है अथवा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह यथास्थिति, उस निकाय या संगम को प्रतिनिधित्व दे सकती है या समिति में किसी अतिरिक्त सदस्य के नामनिर्देशन के लिए अनुरोध कर सकती है ।

12. **सदस्यों का रजिस्टर** :– एक ऐसा रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें सभी सदस्यों के नाम और पते दर्ज किए जाएंगे और उस रजिस्टर में किसी सदस्य के पते में हुआ कोई परिवर्तन भी दर्ज किया जाएगा ।

13. **समिति के सदस्य–सचिव** :– (1) दीपस्तंभ और दीपपोतों का महानिदेशक, जो नियम 4 के अधीन पदेन सचिव हो, समिति के सदस्य–सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(2) सदस्य–सचिव के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) अध्यक्ष के निदेशों के अधीन समिति की या नियम 21 में निर्दिष्ट समिति की उपसमिति की बैठक बुलाना;

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक तथा सदस्यों का रजिस्टर रखना;

(ग) अध्यक्ष के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करना;

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे समिति द्वारा समय–समय पर सौंपे जाएं ।

14. **बैठकें** :– (1) समिति 12 महीनों में साधारणतया एक बार और यदि आवश्यक हो तो इससे भी कम के अन्तरालों पर अपनी बैठक करेगी ।

(2) समिति की असाधारण बैठक उस दशा में आयोजित की जाएंगी जब कम से कम पांच सदस्य, अध्यक्ष को लिखित रूप में इसकी मांग करें और उस उद्देश्य को बताएं जिसके लिए बैठक करने का प्रस्ताव है ।

(3) समिति को प्रत्येक बैठक उस तारीख को और उस समय तथा उस स्थान पर होगी जिसे अध्यक्ष नियत करें ।

(4) अध्यक्ष, समिति के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को चुन लेंगे ।

15. **बैठक की सूचना** :– (1) समिति की प्रत्येक बैठक के स्थान, तारीख और समय की सूचना बैठक की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों को भेजी जाएंगी । परन्तु उन दशाओं में, जिनमें, अध्यक्ष की राय में, बैठक अत्यावश्यक रूप से की जानी है, कम अवधि की सूचना भी दी जा सकती है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना या तो हाथों–हाथ दी जाएंगी या सदस्य के अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्री डाक से भेजी जाएंगी ।

16. **कार्यसूची** :– नियम 14 में निर्दिष्ट समिति की बैठक की सूचना के साथ–साथ उन कार्यों की एक सूची भी, जिन्हें उस बैठक में करने का प्रस्ताव है, प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएंगी और जो कार्य सूची पर नहीं है वह बैठक में, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, नहीं शामिल किया जाएगा ।

17. **गणपूर्ति** :– (1) बैठक के लिए गणपूर्ति पांच होगी ।

(2) यदि किसी समय गणपूर्ति न हो तो समिति की बैठक किसी अगली तारीख के लिए स्थगित कर दी जाएंगी और वह तारीख मूल बैठक की तारीख से 14 दिन से पहले की नहीं होगी तथा स्थगित बैठक में कार्य संचालन किया जा सकेगा चाहे गणपूर्ति हो या न हो ।

18. **बैठक की प्रक्रिया** :– (1) कोई सदस्य, जो किसी प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहता है, उसकी लिखित सूचना, समिति की बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व, सदस्य–सचिव को देगा ।

(2) समिति के बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य समिति का संचालन विनियमित करेगा।

(3) समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत से राय मान्य होगी ।

(4) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, और यदि समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की संख्या बराबर है तो अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक निर्णायक मत होगा ।

19. **बैठकों के कार्यवृत्त** :– (1) समिति को कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सदस्य–सचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे और भारत में उपस्थित सभी सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे, तथा वे कार्यवृत्त, उपस्थित किन्हीं संशोधनों के साथ जिनका सुझाव दिया गया है, पुष्टिकरण के लिए समिति को अगली बैठक में रखे जाएंगे ।

(2) अध्यक्ष या उस सदस्य द्वारा, जिसने बैठक की अध्यक्षता की थी, कार्यवृत्तों की पुष्टि और उस पर हस्ताक्षर के देने के पश्चात् उन्हें कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित कर लिया जाएगा जो कार्यालय के घन्टों के दौरान हर समय सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी ।

20. **सिफारिशें** :– समिति द्वारा किए गए ऐसे विनिश्चय, जिन पर आगे की कार्यवाही की आवश्यकता है, मंत्रालय को अथवा परिवहन संबंधी कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के विभाग को भेजे जाने के लिए सिफारिशों के रूप में अभिलिखित किए जाएंगे ।

21. **बैठकों में हाजिर होने वाले गैर–सदस्य** :– अध्यक्ष चर्चा में भाग लेने के लिए समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा किन्तु ऐसे व्यक्ति मत देने के हकदार नहीं होंगे ।

22. **उप–समिति** :– समिति, अपने को निर्दिष्ट किसी विशिष्ट समस्या या समस्याओं की छानबीन करने तथा उन पर रिपोर्ट देने के लिए, स्थायी अथवा अन्य किसी प्रकार की, एक या अधिक उप–समितियों नियुक्त कर सकेगी ।

23. <u>सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते, आदि</u> :–

(अ) <u>संसद–सदस्यों से भिन्न गैर–सरकारी सदस्य</u> ––

(क) यात्रा भत्ते : (1) रेल द्वारा यात्रा : संसद सदस्य से भिन्न कोई गैर–सरकारी सदस्य, जो समिति या उप–समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए, अथवा समिति संबंधी किसी कार्य के संबंध में कोई यात्रा करता है तो उसे प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवकों के समकक्ष समझा जाएगा और वह सरकारी सेवकों की भांति उसे 2800/– रूपए से ऊपर किन्तु 5100/– रूपए से कम प्रति माह प्रदत्त होंगे और राजधानी एक्सप्रेस सहित सभी रेलगाड़ियों के प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित 2 टियर शयनयान में यात्रा का रेल किराया पाने का हकदार होगा ।

परन्तु जहां केन्द्रीय सरकार यह समाधान रखती है कि गैर–सरकारी सदस्य को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा करना चाहिए, तो उसके विवेकानुसार, राजधानी एक्सप्रेस सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की मंजूरी उस स्थिति में दे सकेगी जब कि उसकी राय में यह रियायत निम्नलिखित एक या अधिक शर्तों के पूरा होने पर न्यायोचित्त हो, अर्थात् :–

(i) जहां वह व्यक्ति, कार्यरत संगठन में अथवा सेवानिवृत्ति से पहले प्रथम श्रेणी वातानुकूलन कोच में यात्रा का पात्र है या था;

(ii) जहां प्रशासित मंत्रालय को समाधान हो जाए कि सम्बन्धित गैर–सरकारी सदस्य यात्रा का प्रथागत मोड शासकीय कर्तव्य से असम्बद्ध यात्राएं रेल की वातानुकूलित कोच में ही रूढ़ित करता रहा है ।

(2) <u>सड़क द्वारा यात्रा</u> :– ऐसे स्थानों के बीच, जो रेल से जुड़े नहीं हैं, सड़क द्वारा यात्राओं के लिए कोई भी सदस्य, सम्पूरक नियम 46 के अंतर्गत, प्रथम श्रेणी अधिकारी के अनुज्ञेय सड़क मील भत्ता, जो कि 2800/– रूपए से ऊपर किन्तु 5100/– रूपए से कम प्रतिमाह, के बीच पाने का हकदार होगा । जैसे सार्वजनिक बस का किराया (किसी भी प्रकार की बस; डिलक्स, सुपर–डिलक्स, एक्सप्रेस इत्यादि किन्तु वातानुकूलित बसों को छोड़कर) अथवा आटोरिक्शा/स्वयं के स्कूटर/मोटर साइकिल/बाईक, इत्यादि द्वारा यात्रा के लिए निर्धारित दरों पर आटोरिक्शा भाड़ा अथवा पूरी यात्रा टैक्सी/स्वयं की कार से यात्रा के लिए निर्धारित टैक्सी भाड़े का हकदार होगा ।

(iii) उन दशाओं में, जिनमें रेल से जुड़े दो स्थानों के बीच सड़क से यात्रा की जाती है, सदस्य, रेल द्वारा प्रथम श्रेणी के किराए तक सीमित विहित सड़क मील भत्ता पाने का हकदार होगा । किन्तु यदि किसी व्यष्टिक मामले में केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि सड़क द्वारा यात्रा लोकहित में की गई थी तो पूरा–पूरा सड़क मील भत्ता, उसे रेल भत्ते तक सीमित किए बिना, अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(3) **समुद्र या नदी स्टीमर द्वारा यात्रा** :– समुद्र या नदी स्टीमर द्वारा यात्राओं के लिए, गैर–सरकारी सदस्य सर्वोच्च श्रेणी की निम्नतम दर से (भोजन को छोड़कर) एक किराए का हकदार होगा ।

(4) **वायुयान द्वारा यात्रा** :– (i) सामान्य अनुक्रम में वायुयान द्वारा यात्रा की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, किन्तु केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त किसी सामान्य अनुदेश के अधीन रहते हुए, समिति के किसी सदस्य के वायुयान द्वारा यात्रा करने की मंजूरी उस दशा में दे सकती है जब उसका समाधान हो गया हो कि वायुयान द्वारा यात्रा करना अत्यावश्यक और लोकहित में जरूरी है ।

(ii) जब किसी गैर–सरकारी सदस्य को वायुयान द्वारा यात्रा के लिए प्राधिकृत किया जाए तब वह जहां कि एयर लाइन पर दो श्रेणियां अर्थात् प्रथम और एकोनॉमी (टूरिस्ट) हों वहां, एकोनॉमी (टूरिस्ट) श्रेणी का हकदार होगा ।

(iii) जिन दशाओं में वायुयान द्वारा यात्रा प्राधिकृत की जाती है, उनमें गैर–सरकारी सदस्य एक मानक–वायुयान–किराए का हकदार होगा ।

(iv) प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाएगी कि यदि वह यात्रा–टिकट समाप्त होने से पूर्व, वापसी–यात्रा पूरी की जा सकती है, तो वह जहां कहीं उपलब्ध हो वहां, वापसी–यात्रा टिकट ही खरीदे । किन्तु जाने तथा लौटने वाली यात्राओं के लिए, जब ऐसा वापसी टिकट उपलब्ध हो तब, मील भत्ता वापसी टिकट का वास्तविक व्यय होगा ।

(v) यदि, किसी व्यक्तिगत मामले में, कोई गैर–सरकारी सदस्य समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में वायुयान से यात्रा करने की सामान्य अनुज्ञा की मांग करता है तो सरकार ऐसे मामले की जांच गुणागुण के आधार पर कर सकती है और संबंधित सदस्य को, उसके विवेकानुसार, वायुयान से यात्रा करने की सामान्य अनुज्ञा दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि सम्बन्धित गैर–सरकारी सदस्य शासकीय कर्तव्यों से असम्बद्ध यात्राए अभ्यासत वायुयान से ही करता है ।

(ख) **दैनिक भत्ता** : (1) गैर–सरकारी सदस्य, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 23.6.86 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19020/1/84 के पैरा 1 (ii) में उल्लिखित दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा, जो कि यदि सदस्य, सापेक्षतः वर्गीकृत शहरों में, होटल में रूकता है तो 150 रूपए प्रतिदिन की दर से और यदि सदस्य होटल में नहीं रूकता है तो 100 रूपए प्रतिदिन की दर से प्रदत्त। दैनिक भत्ते की गणना उसी रीति से की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू है, और उनके मामलों में उनके निवास के सामान्य स्थान से लेकर ऐसे स्थान तक की पूरी अनुपस्थिति की गणना कर ली जाएगी ।

(2) असाधारण मामलों में, जहां कि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि समिति का कार्य ऐसी निरन्तर और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रकृति का है कि गैर–सरकारी सदस्य को, जितना समय और शक्ति उसे सामान्यतया देने की आशा की जाती है है उससे कहीं अधिक समय और शक्ति देनी जरूरी होगा वहां, बैठक की जगह पर रूकने के लिए दैनिक भत्ते की दर को बढ़ाकर अधिक से अधिक 50 रूपए प्रति दिन तक बढ़ाया जा सकता है । यदि दैनिक भत्ते की बढ़ी हुई दर बैठक से ठीक पहले के या ठीक बाद

के दिन के लिए या दोनों के लिए, यदि गैर–सरकारी सदस्य उस स्थान पर उन दिनों वस्तुतः रूकता है तो अनुज्ञेय होगी ।

(3) दैनिक भत्ता समय–समय पर यथा संशोधित अनु0 नि0 73 में दी गई सामान्य शर्तों के अधीन रहेगा । किन्तु सरकार ऐसी दशाओं में, जिनमें उसके खण्ड (क) और (ख) में विहित शर्तें पूरी की गई हैं, नियम को शिथिल करने के लिए सक्षम होगी ।

(4) जब किसी गैर–सरकारी सदस्य को केन्द्रीय सरकार के व्यय पर रहने और लाने की निःशुल्क व्यवस्था की जाए तो वह इन नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय दैनिक भत्ते के केवल चतुर्थांश का हकदार होगा । यदि केवल भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है तो उसे दैनिक भत्ता अनुज्ञेय दर की आधी दर से दिया जाएगा । यदि केवल रहने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है तो दैनिक भत्ता अनुज्ञेय दर की तीन–चौथाई दर से दिया जाएगा ।

(ग) **सवारी भत्ता** : (i) उस स्थान का निवासी कोई गैर–सरकारी सदस्य, जहां समिति की बैठक होती है, ऊपर पैरा (क) और (ख) में बताए गए मापमानों के अनुसार यात्रा भत्ते ओर दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा किन्तु उसे सवारी भाड़े की वास्तविक रकम अनुज्ञात की जाएगी जो अधिक से अधिक 50 रूपए प्रतिदिन होगी । दावे का वस्तुतः संदाय करने से पूर्व सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, ऐसे ब्यौरे प्राप्त करने के पश्चात् जो आवश्यक समझा जाए स्वयं, दावों को सत्यापित करेगा और अपना यह समाधान करेगा कि वह व्यय वास्तव में किया गया था, वह उस व्यय से कम नहीं था जिसके लिए दावा किया गया है । यदि ब्यौरों से उसका समाधान नहीं होता है तो वह सवारी भत्ते को सड़क मील भत्ते तक, स्वविवेकानुसार, सीमित कर सकेगा ।

(ii) यदि कोई ऐसा सदस्य अपनी कार का प्रयोग करता है तो उसे प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अनुज्ञेय दर से मील भत्ता मंजूर किया जाएगा किन्तु यह भत्ता अधिक से अधिक 50 रूपए प्रतिदिन तक होगा ।

आ) संसद सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते :–

क) **यात्रा भत्ता** : (i) समिति के कार्य के संबंध में रेल, सड़क, वायुयान या स्टीमर द्वारा की गई यात्राओं के लिए संसद सदस्य उसी मापमान पर यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा जो संसद सदस्य के वेतन और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 4 के अधीन उसे अनुज्ञेय होगा ।

(ii) संसद सदस्य साधारणतया रेल से यात्रा करेगा और वह अपने उस निःशुल्क प्रथम श्रेणी के रेल पास का प्रयोग करेगा जो उसे दिया गया है । वह स्वविवेकानुसार वायुयान से भी यात्रा कर सकता है । किन्तु वायुयान द्वारा यात्रा का आश्रय सामान्य अनुक्रम में नहीं लिया जाएगा तथा अपने विवेक का प्रयोग करते समय सदस्य कार्य की अत्यावश्यकता, वह दूरी जहां तक यात्रा की जानी है, उसके पास उपलब्ध समय, आदि बातों को भी ध्यान में रखेगा ।

ख) **दैनिक भत्ता** :– (i) संसद सदस्य, दैनिक भत्ता, बैठक के प्रत्येक दिन के लिए, संसद सदस्यों की समय–समय पर अनुज्ञेय दर से पाने का हकदार होगा ।

(ii) जब कभी संसद अथवा कोई संसदीय समिति जिसमें सदस्य सेवारत हो, सत्र में हो तब, सदस्य समिति के किसी कार्य के संबंध में दैनिक भत्ता लेने का हकदार नहीं होगा, क्योंकि वह संसद सदस्य के वेतन और भत्तो से सम्बन्धित अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 3 के अधीन दैनिक भत्ता सम्बन्धित संसद सचिवालय से ले रहा होगा, किन्तु यदि वह यह प्रमाणपत्र दे दें कि समिति सम्बन्धी कार्य के कारण वह सदन के सत्र या संसदीय समिति में उपस्थित नहीं हो सका था और उसने संसद से कोई दैनिक भत्ता नहीं लिया है तो वह जैसा ऊपर बताया गया है, दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा । यदि किसी संसद सदस्य के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, या स्वायत्तशासी औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रम या निगम, या कानूनी निकाय या स्थानीय प्राधिकारी के, जिसमें सरकारी निधियां विनिहित की गई है या जिसमें सरकार का कोई अन्य हित है, व्यय पर निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था की गई है तो दैनिक भत्ते का संदाय संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 के अधीन विनियमित किया जाएगा ।

(ग) सरकारी सदस्य यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की मंजूरी के संबंध में उन नियमों द्वारा शासित होगा जो सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उसे लागू होते हैं ।

24. **<u>यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की मंजूरी के प्रयोजनार्थ नियंत्रक अधिकारी</u>** :– गैर–सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के संबंध में दीपस्तंभ और दीपपोतों के महानिदेशक नियंत्रक अधिकारी होंगे ।

(संख्या एलपीएल–35–74 एमटी)

हस्ताक्षर/–

(डी0सी0 अहीर)
अवर सचिव, भारत सरकार

****